नियमावली

|1| संस्था का नाम : माँ गंगा विप्र कल्याण संघ

|2| संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण छत्तीसगढ़

|3| संस्था का मुख्य कार्यालय : भवन स्वामी का का नाम – ज्ञान प्रकाश द्विवेदी

: मकान क्रमांक - फ्लैट नं. 105 / B,तिरुपति इन्क्लेव,डूमर तालाब ,

: वार्ड –क्रमांक -70,वार्ड – संत रवि दास ,जिला -रायपुर (छ.ग.)- 492099

|4| संस्था का उद्धेश्य :

1) ब्राह्मण समाज के सदस्यों मे एकता की भावना जागृत कर समाज को संगठित करना।
2) समाज के सदस्यों को संगठित करने के उद्देश्य से समय-समय पर धार्मिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना।
3) समाज के सदस्यों को शिक्षित करने की दिशा मे उचित पहल तथा उच्च शिक्षा सुलभ कराने की दिशा मे सार्थक पहल करना।
4) समाज के प्रतिभावान एवं होनहार छात्र एवं छात्राओ के साथ – साथ समाज के गणमान्य नागरिको को सम्मानित करना तथा समय-समय पर व्याख्यान, कार्यशाला एवं अन्य कार्यक्रमों का आयोजन कर समाज के उन्नति की दिशा मे सार्थक प्रयास करना।
5) समाज मे योग्य युवक – युवतियों के परिचय सम्मलेन, विवाह एवं सामूहिक विवाह तथा विधवा तथा विधुर विवाह आदि का आयोजन करना।
6) समाज मे कमजोर एवं दिव्यांगजनो की सहायता करना।
7) समाज मे व्याप्त कुरीतियाँ जैसे-अन्धविश्वास, दहेज, छुआछूत, नशा आदि बुराइयों को दूर करने की दिशा मे सार्थक प्रयास करना।
8) समाज के उत्थान हेतु सामाजिक भवन एवं सांस्कृतिक भवन, विद्यालय, महाविद्यालय आदि के संचालन एवं विकास कार्यो मे सहयोग प्रदान करना।
9) समाज के समस्याओ के निराकरण के लिए शासन एवं प्रशासनिक स्तर पर सार्थक प्रयास करना।
10) समाज के सदस्यों मे स्वालंबन की भावना जागृत कर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा मे सार्थक प्रयास करना।
11) समाज के सहयोग से पर्यावरण संरक्षण की दिशा मे सार्थक प्रयास करना।
12) समाज के सहयोग से नारी सशक्तिकरण एवं उत्थान की दिशा मे सार्थक प्रयास करना।
13) समाज के सहयोग से राष्ट्रीय जागरण के कार्यक्रमों को सहयोग प्रदान करना।
14) समाज के अधिकार की रक्षा के लिए वैधानिक कार्यवाही की दिशा मे सार्थक पहल करना।
15) समाज के द्वारा सनातन संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन की दिशा मे सार्थक प्रयास करना।
16) वैश्विक महामारी/प्रकोप की दशा मे समाज के सदस्यों को सहायता प्रदान करने की दिशा मे सार्थक प्रयास करना।
17) समाज के कमजोर सदस्यों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने की दिशा मे सार्थक प्रयास करना।
18) विभिन्न उपवर्ग, प्रजाति क्षेत्रो एवं उपजातियो मे विभक्त समाज को एकजुट करने की दिशा मे सार्थक प्रयास करना।
19) समाज के विभिन्न वर्ग जैसे युवा, मातृशक्ति, चिकित्सा, वकील, शिक्षक, व्यवसायी, पुरोहित, आदि का प्रकोष्ठ संचालित कर यथोचित सार्थक कार्यक्रमों द्वारा संगठित करने का प्रयास करना।

Scanned with CamScanner

20) शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओ को समाज के प्रत्येक सदस्य तक पहूँचाने की दिशा मे सार्थक प्रयास करना।

21) समाज की सदस्यों के सर्वांगीन विकास एवं उत्थान के कार्यक्रमों का आयोजन करना।

22) सामाजिक गतिविधियों के प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न साधनों का विकास करना।

23) समाज के सेवानिवृत सदस्यों का समाज के विकास विभिन्न समाजोपयोगी कार्यो मे सुनियोजन करना।

24) समाज के विकास के लिए बुक बैंक/पुस्तकालय संचालित करना।

25) समाज के लिए उपयोगी साहित्य, मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक पत्रिका आदि के विकास के लिए सार्थक प्रयास करना।

26) समाज का सर्वागीण विकास करना ।

27) समाज के सभी वर्गों का विकास करना ।

28) समाज में शांति का वातावरण बनाये रखना ।

29) सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान बनाये रखना ।

30) सामाजिक विकास हेतु कार्य करना। समाज शब्द का तात्पर्य सभी विप्र वर्गों से है ।

।5। **संस्था के सदस्यता एवं सदस्यों का वर्ग :–** संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे।

।अ। <u>संरक्षक सदस्य :–</u>
संस्था को जो व्यक्ति दान के रुप में 10,100.00 रु देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होंगा।

।ब। <u>आजीवन सदस्य :–</u>
जो व्यक्ति संस्था को दान के रूप में 5100.00 देकर आजीवन सदस्य बन सकेगा/जायेगा। ऐसा सदस्य रू. 5,000.00 अधिक देकर भविष्य में संरक्षक सदस्य बन सकता है।

।स। <u>साधारण सदस्य :–</u>
जो व्यक्ति 1,100.00 रू. वार्षिक चंदे के रूप में भुगतान करेगा, वह साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिये सदस्य होगा। जिसके लिए उसने चंदा दिया है, जो साधारण सदस्य बिना संतोशजनक कारण के छः माह तक देय चंदा नहीं देगा, उसकी सदस्यता समाप्त हो जावेगी। ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिए नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया चंदे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।

।द। <u>सम्मानीय सदस्य</u>
जो प्रतिष्ठित महोदय संघ के उद्देश्यों से सहानुभूति रखते हो और जिन्होंने अपनी प्रति योग्यता और विद्वता के द्वारा जाति की सेवा की हो जिसका निर्णय कार्यकारिणी के उपस्थित सदस्यों की बहु-सम्मति द्वारा किया जायेगा। संघ के सम्मानित सदस्य हो सकेंगे।

।य। <u>स्थानीय संभाग एवं जिला समितियॉ :–</u>

1. संघ के विस्तार एवं दृढ़ता के लिए संघ के नियमो एवं उद्देश्यों के प्रचारार्थ समस्त छत्तीसगढ़ प्रदेश मे संभाग एवं जिला समितियों का गठन किया जायेगा ।
2. संभाग एवं जिला समिति की सदस्यता -

।अ। <u>संरक्षक सदस्य :–</u>
संस्था को जो व्यक्ति दान के रुप में 5,100.00 रु देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होंगा।

।ब।<u>आजीवन सदस्य :–</u>
जो व्यक्ति संस्था को दान के रूप में 3100.00 देकर आजीवन सदस्य बन सकेगा/जायेगा। ऐसा सदस्य रू. 2,000.00 अधिक देकर भविष्य में संरक्षक सदस्य बन सकता है।

Scanned with CamScanner

।स। **साधारण सदस्य :–**

जो व्यक्ति 1,100.00 रू. वार्षिक चंदे के रूप में भुगतान करेगा, वह साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिये सदस्य होगा। जिसके लिए उसने चंदा दिया है, जो साधारण सदस्य बिना संतोशजनक कारण के छः माह तक देय चंदा नहीं देगा, उसकी सदस्यता समाप्त हो जावेगी। ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिए नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया चंदे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।

सदस्यों कि संख्या निम्नवत होगी-

अध्यक्ष-1, उपाध्यक्ष-7, सचिव-1, कोषाध्यक्ष-1, संयुक्त सचिव-7, कार्यकारिणी सदस्य- 4 होंगे ।

अर्थात सभी सदस्यों कि अधिकतम संख्या - 21 होगीं ।

3. समय-समय पर प्रदेश संघ द्वारा भेजी गई सूचनाएं, आदेश, अपील, तथा प्रबंध सम्बन्धी बातो का पालन करना सम्बन्धित संभाग एवं जिला के संघ का परम कर्त्तव्य होगा। प्रत्येक संघ अपनी समिति कार्यवाही रिपोर्ट प्रदेश संघ को भेजा करेगी ।

4. किसी संभाग एवं जिला के विवादस्पद विषय मे प्रांतीय संघ का निर्णय सर्वोच्च माना जायेगा ।

5.जिला स्तरीय समितिया अपनी आय का 50% राशि को संभागीय स्तरीय समितियों को प्रदान करेगी और संभागीय स्तरीय समिति अपनी आय का 30% राशि को प्रान्त स्तरीय समिति को प्रदान करेगी ।

।6। **सदस्यता की प्राप्ति :–**

प्रत्येक व्यक्ति, जो कि समिति का सदस्य वनने का इच्छुक हो, लिखित रूप में आवेदन करना होगा, ऐसा आवेदन–पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा, जिस के आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार कार्यकारिणी का होगा।

।7। **सदस्यों की योग्यता एवं शर्ते :–**

।1। आयु 18 वर्ष से कम न हों। ।2।भारतीय नागरिक हों।
।3। समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हों, ।4। सदचरित्र हों।
।5। किसी भी प्रकार का नशा–पान निषेध होगा। ।6। सदस्य का व्यवहार अच्छा हो ।
।7। सदस्य मानसिक रूप से संतुलित हो । ।8। सदस्य विप्र समाज का होना आवश्यक होगा ।

।8। **सदस्यता की समाप्ति :–**

सदस्य की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी–

1। मृत्यु हो जाने पर ।
2। पागल हो जाने पर।
3। संस्था को देय चंदे की रकम बताये अनुसार जमा न करने पर।
4। त्याग –पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर।
5। चारित्रिक दोष होने पर, और कार्यकारिणी समिति के निर्यणानुसार निकाल दिये जाने पर, जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगा।

।9। **संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी, जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेगें :**

01. प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय,
02. वह तारीख, जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नं. ।
03. वह तारीख, जिससे सदस्यता समाप्त हुई हो।
04. सदस्यों के हस्ताक्षर।

।10। संस्था के अंगः– ।1 ।साधारण सभा ।2। प्रबंधकारिणी समिति

(अ) **साधारण सभा :–** साधारण सभा के नियम 5 (अ.ब.स.) में दर्शाये अनुसार श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे । साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी । बैठक का माह मई तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी । बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा । संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनाक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी । उसमें संस्था के पदाधिकारियों

Scanned with CamScanner

का विधिवत् निर्वाचन किया जावेगा यदि संबंधित आम सभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता है तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन मे पदाधिकारियो का विधिवत् चुनाव कराया जावेगा ।

(ब) <u>प्रबंधकारिणी सभा</u> :– प्रबंधकारिणी सभा की बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेण्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजा जाना आवश्यक होगा । यदि बैठक में कोरम 1/2 सदस्यो की होगी । यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घंटे के लिये स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की कोई शर्त नही होगी ।

(स) <u>विशेष</u> :– यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलाई जाएगी विषेश संकल्प पारित हो जाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा । पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा ।

|11| <u>साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य :–</u>

क. संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना ।
ख. संस्था की स्थायी निधि व संपत्ति की ठीक व्यवस्था ।
ग. आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षको की नियुक्ति करना ।
घ. अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना, जो प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रस्तुत हों।
ड. संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय–व्यय पत्रको की स्वीकृति करना।
च. बजट का अनुमोदन करना ।

|12| <u>प्रबंधकारिणी का गठन :–</u> यदि कोई समिति के पदेन सदस्य प्रादेशिक,संभागीय एवं जिला स्तरीय रहेंगें । नियम– 5 |अ,ब,स। में दर्शाये गये सदस्यों, जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हों, बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नाकिंत पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा।

|1| अध्यक्ष –1 |2| उपाध्यक्ष–8 |3| सचिव–1 |4| कोषाध्यक्ष–1
|5| संयुक्त सचिव–8 |6| कार्यकारिणी सदस्य – 10

|13| <u>प्रबंध समिति का कार्यकाल :–</u> प्रबंध समिति का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। उचित कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियामानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी, किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नही होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

|14| <u>प्रबंध समिति के अधिकार :–</u>

अ. जिन उदेश्यो की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है, उनकी पूर्ति करना।
ब. पिछलें वर्ष का आय – व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रति वर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।
स. समिति एवं उनके अधीन संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना, संस्था की चल – अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।
द. कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।
इ. अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय–समय पर सौंपे जाए।

Scanned with CamScanner

उ. संस्था की समस्त चल–अचल संम्पत्ति, समिति के नाम से रहेगी।

फ. संस्था द्वारा कोई स्थावर संपत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या आन्तरित नहीं की जाएगी।

च. विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्ष कर साधारण सभा की बैठक की उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की करेगी, साधारण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मत से उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा।

छ. प्रबंधक समिति के सदस्यो एवं पदाधिकारियों के कार्यकाल में संस्था द्वारा लिए गए समस्त ऋण की अदायगी का उत्तरदायित्व उस समय के सभी सदस्यों पर होगी।

|15| **अध्यक्ष के अधिकार :–**अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबन्धकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेंगा तथा सचिव द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विशयों में निर्णयात्मक होगा।

|16| **उपाध्यक्ष के अधिकार :–** अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की, समस्त बैठको की अध्यक्षता करेगा, अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।

|17| **सचिव |मंत्री| के अधिकार :–**

01. साधारण सभा की एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय–समय पर बुलाना और समस्त आवेदन–पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हों प्रस्तुत करना।
02. समिति का आय–व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।
03. समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना, उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना।
04. सचिव को किसी कार्य के लिए एक समय में रूपये 5,000.00 खर्च करने का अधिकार होगा।

|18| **संयुक्त सचिव के अधिकार :–**
सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा।

|19| **कोषाध्यक्ष के अधिकार :**
समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना ।

|20| **संस्था का अभिलेख :–** सदस्यता का रजिस्टर ,कार्यवाही रजिस्टर ,स्टॉक रजिस्टर,रोकड बही, खाताबही ।

|21| **संस्था के विघटन एवं संपत्ति के निस्तारण की कार्यविधि :–** इसकी अंशदान व ऋण की कार्यवाही रजिट्रेशन अधिनियम के अन्तर्गत की जायेगी।

|22| **बैंक खाता :–**
संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्टआफिस में रहेगी। धन का आहरण अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष या सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा या उसके द्वारा नियुक्त किये गये नामांकित प्रबंधक के हस्ताक्षर से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रूपयें 10,000 रहेगें।

|23| **पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी :–**
अधिनियम की धारा –27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा होने का माह मई होगा, तथा वार्षिक आमसभा होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाइल की जावेगी तथा धारा 28 के अंतर्गत संस्था की लेखा भेजेगी । यह निगत शुल्क के साथ भेजेगी।

|24| **संशोधन :–**

Scanned with CamScanner

संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक, फर्म एवं संस्थाएं को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा। संस्था के विधान में संशोधन हेतु प्रस्ताव मय–नियत शुल्क सहित प्रस्तुत की जावेगी।

|25| **विघटन :–**
संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात् संस्था की चल अचल संपत्ति किसी समान उद्धेश्य वाली संस्था को सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधनों के अनुसार की जावेगी।

|26| **सम्पति :–**
संस्था की समस्त चल तथा अचल संपत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल संपत्ति स्थावर रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं की लिखित अनुज्ञा के विना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्य प्रकार से अर्जित या अन्तरित नहीं की जा सकेगी एवं उक्त हेतु नियत शुल्क संस्था द्वारा जमा की जायेगी ।

|27| **पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना :–**
संस्था की पंजीयण नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक ना वुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं को बैठक वुलाने का अधिकार होगा। साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा ।

|28| **विवाद :–**
संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा के अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निर्णय से संतोष न हो, तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिये भेज सकेगें। रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रवंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अन्तिम निर्णय देने का
अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

Scanned with CamScanner